राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 11 फरवरी 2026

वर्ष -13, अंक-06, पेज- 8, मूल्य 2 रूपए

जुड़िए हमसे... @risingindore.news www.risingindore.com और +91-731-4032200 पर

Inside
page 05

इंदौर में बिल्डरों से अटकी 87 करोड़ की वसूली

जनता के पैसे की वसूली में रेरा के आदेश के बाद भी प्रशासन की रुचि नहीं...

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

रेरा के द्वारा दिए गए आदेश के बाद भी इंदौर के जिला प्रशासन के द्वारा बिल्डरों से 87 करोड रुपए की वसूली नहीं की जा रही है। यह वसूली अटक जाने के कारण 778 लोगों को उनके अधिकार का पैसा जो उन्होंने दिया था वह नहीं मिल पा रहा है।

भू संपदा विनायमक प्राधिकरण रेरा के द्वारा पूरे प्रदेश के 21 जिलों के कलेक्टर को यह निर्देश दिया गया था कि वह बिल्डरों से 312 करोड रुपए की वसूली करें। यह वसूली नागरिकों के द्वारा डेरा के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन की सुनवाई के बाद करने के निर्देश दिए गए थे। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में गठित किए गए रेरा में बिल्डर कॉलोनाइजर के द्वारा किए गए वादे को नहीं निभाने पर नागरिक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आवेदन पर रेरा के द्वारा विचार किया जाता है और संबंधित बिल्डर से उसका पक्ष भी जाना जाता है। रेरा के द्वारा आम नागरिकों के हितों का संरक्षण करते हुए बिल्डरों के द्वारा उनका शोषण करने पर रोक लगाने की पहल की जाती है।

पिछले दिनों भोपाल के राम सहोदर वाघमारे ने 5 साल पहले राधा बिल्डर से 40 लाख रुपए में अपना घर बुक कराया था। अनुबंध के अनुसार बिल्डर के द्वारा मकान बनाकर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में वाघमारे के द्वारा रेरा में आवेदन लगाया गया। इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए रेखा के द्वारा कलेक्टर को बिल्डर से अतिरिक्त राशि वसूल कर वाघमारे को दिलाने का आदेश दिया गया। यह मामला केवल भोपाल के वाघमारे का ही नहीं है बल्कि इस तरह से मध्य प्रदेश के 2000 से ज्यादा लोगों के द्वारा रेरा में आवेदन लगाकर बिल्डर से अपने पैसे और क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने का आग्रह किया गया। इस आग्रह पर रेरा के द्वारा तो सुनवाई कर आदेश जारी कर दिया गया लेकिन कलेक्टरों के द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

जनता से पैसे लेकर वादा खिलाफी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने में जिला प्रशासन कोई रुचि नहीं दिख रहा है। प्रदेश में इंदौर भोपाल जबलपुर सहित 21 जिले में कलेक्टरों को 312 करोड रुपए की राशि बिल्डरों से वसूल कर आवास बुक करने वालों को लौटना है।

रेरा के फैसले का पालन नहीं होने पर करीब 100 लोगों के द्वारा कोर्ट में कैसे लगा दिया गया है। कोर्ट ने भी कई बिल्डरों को लोगों की राशि वापस करने के फैसले सुनाए हैं। अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिल्डरों के द्वारा उच्च न्यायालय में अपील लगाकर पूरे मामले को कानूनी झंझट में उलझाने का काम

किया जा रहा है। भू संपदा विनयामक प्राधिकरण के सचिव डी वी सिंह का कहना है कि रेरा के द्वारा 2017 से समय-समय पर सुनवाई कर बिल्डरों को राशि वापस करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश को बिल्डर नहीं मान रहे हैं। उनके खिलाफ कलेक्टरों को भी वसूली का आदेश दिया गया है।

कहां होना है कितनी वसूली

जिला	केस	राशि (करोड़ में)
भोपाल	825	171 करोड़
इंदौर	778	87 करोड़
रायसेन	158	14 करोड़
ग्वालियर	108	15 करोड़
जबलपुर	66	13 करोड़

कॉलोनी के लिए भी लेना पड़ती है अनुमति

रेरा अधिनियम प्रावधान लागू किए जाने के बाद से यह आवश्यक हो गया है कि कोई कॉलोनी अथवा बिल्डिंग बनाने के लिए रेरा की अनुमति लेना पड़ती है। इस अनुमति के बगैर प्रोजेक्ट में कोई प्लांट अथवा फ्लैट बेचने का सौदा नहीं किया जा सकता है। यह अनुमति लेने के साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग डिपार्टमेंट सेबी अनुमति प्राप्त कर स्थानीय निकाय से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरांत ही इस तरह का विकास किया जा सकता है। जो बिल्डर अथवा कॉलोनाइजर रेरा की अनुमति के बगैर विकास करने लगते हैं उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान भी है।

राइजिंग इंदौर अब www.risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

एलिवेटेड कॉरिडोर की राह में पानी ड्रैनेज की लाइन बनी बाधा

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में जमीन के नीचे नर्मदा जल और सीवरेज लाइनों का जाल सबसे बड़ी बाधा बनेगा। पंद्रह साल पुराने बीआरटीएस निर्माण के कड़वे अनुभवों और रिंग रोड के बढ़ते उपयोग ने इस नए कॉरिडोर की उपयोगिता पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

इंदौर में छह किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन उसे बनाना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जब बीआरटीएस कॉरिडोर पंद्रह साल पहले बनाया गया था, तब नर्मदा लाइन सड़क के बीच वाले हिस्से में डाली गई थी। इसके अलावा हर चौराहे पर सीवरेज के बड़े पाइप भी क्रॉस हुए हैं। यदि एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनता है तो जगह-जगह लाइनों को शिफ्ट करना होगा। इसमें काफी समय लगेगा।

बीआरटीएस निर्माण की समय सीमा दो साल तय की गई थी, लेकिन उसके बनने में पांच साल से अधिक का समय लगा, क्योंकि एबी रोड पर ट्रैफिक का दबाव काफी रहता है। ट्रैफिक को दूसरे रूटों पर भी ज्यादा डायवर्ट नहीं किया जा सकता है। यह परेशानी एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने में भी आएगी।

व्हाइट चर्च चौराहे पर पथरीली जमीन

एलिवेटेड कॉरिडोर के कॉलम बनाने के लिए जमीन में गहरी खुदाई करना होगी। इसमें सबसे ज्यादा समय गीता भवन से जीपीओ के बीच लगेगा। यहां पथरीला हिस्सा है। सीवरेज लाइन बिछाने के लिए इस हिस्से में चट्टानें तोड़ने के लिए विस्फोट का इस्तेमाल किया गया था। यहां लाइन शिफ्ट करना पड़ी तो उसके लिए भी अलग से खुदाई करना होगी।

लंबी दूरी का ट्रैफिक और होगा कम

एलआईजी से भंवरकुआं या राजीव गांधी चौराहे तक शहरवासियों को जाना हो तो वे अब रिंग रोड का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि खजराना चौराहा, बंगाली चौराहा, वर्ल्ड कप चौराहा, पालदा चौराहा पर ब्रिज बनने से अब रिंग रोड पर समय कम लगता है। इस मार्ग पर मूसाखेड़ी और आईटी चौराहे पर भी ब्रिज बन रहे हैं। इसके बाद ट्रैफिक और आसान हो जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर याचिका लगाने वाले अतुल शेठ का कहना है कि रिंग रोड के कारण वैसे ही एबी रोड के ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। इस कारण एलिवेटेड कॉरिडोर ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होगा। पहले जब इसे लेकर सर्वे हुआ था, तब ट्रैफिक चार प्रतिशत आया था।

लोक निर्माण विभाग देगा खर्चा

इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास है। इस विभाग के द्वारा इंदौर नगर निगम के द्वारा डाली गई पानी और ड्रेनेज की लाइन को शिफ्ट करने का खर्च उठाया जाएगा। यह फैसला पिछले दिनों हुई कुछ स्तरीय कमेटी की बैठक में लिया गया। नगर निगम के द्वारा मोटे तौर पर यह आकलन किया गया है कि इस कार्य पर करीब 10 करोड रुपए का खर्च आएगा। लोक निर्माण विभाग ने यह राशि निगम को देने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब इस कार्य में जो समय लगेगा उस समय पर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का कार्य नहीं हो सकेगा। ऐसे में यह कार्य करना मुश्किल और चुनौती पूर्ण हो जाएगा।

टेंडर में 2 साल में काम करने की शर्त

लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस काम का टेंडर गुजरात की कंपनी को दिया गया है। विभाग के आकलन के अनुसार इस कार्य पर 350 करोड रुपए खर्च होंगे। इस टेंडर में जो शर्तें रखी गई है उसके अनुसार ठेकेदार कंपनी को 2 साल के अंदर 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा कर देना होगा। अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसे देखते हुए यह निश्चित है कि किसी भी हालत में यह कंपनी 2 साल में इस निर्माण को नहीं कर सकती है।

नेहरू पार्क स्विमिंग पूल में इस साल गर्मी में हो सकेगी तैराकी

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर के खेल इतिहास का गवाह रहा नेहरू पार्क स्विमिंग पूल एक बार फिर अपनी नई रंगत में शहरवासियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। अंतरराष्ट्रीय मानकों और आधुनिक सुविधाओं के साथ हो रहा इसका कायाकल्प अब अपने अंतिम पड़ाव पर है।

देश को राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी देने वाले इंदौर के नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का कायाकल्प अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अप्रैल तक यह फिर से तैराकी सीखने वालों के लिए खोल दिया जाएगा। पूल का डायविंग टावर बन चुका है और पूल में टाइल्स लगाने का काम भी हो रहा है। महापौर ने हाल ही में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए ताकि गर्मियों के सीजन में शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके।

लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से हो रहे इस जीर्णोद्धार कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इस पूल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है, बल्कि यहां डाइविंग टावर और फिल्टरेशन प्लांट को भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा परिसर में एक नई लाइब्रेरी और जिम जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे यह केवल एक स्विमिंग पूल न रहकर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में उभरेगा।

सुरक्षा के लिहाज से पूल की गहराई को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें बच्चों और नए सीखने वालों के लिए कम गहरा हिस्सा और पेशेवर तैराकों के लिए गहरा हिस्सा तय किया गया है। इसकी गहराई बीस फीट से ज्यादा रहेगी। पहले की तरह रियायती दरों पर सदस्यता दी जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से विशेष बैच भी संचालित किए जाएंगे। तय समयसीमा से ज्यादा समय इसके निर्माण में बीत चुका है, क्योंकि निर्माण एजेंसी ने टावर के पहले पूल की टाइल्स लगा दी थी, जो टावर निर्माण का मलबा गिरने के कारण टूट गई थी। उधर पूल भरने में भी एक सप्ताह से ज्यादा का समय लगेगा। पूल में 100 टैंकर से ज्यादा पानी लगेगा।

इंदौर में बिना एनओसी के चल रहे हैं 1008 उद्योग

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौपी रिपोर्ट में राज्य सरकार ने स्वीकारा

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में 1008 उद्योग ऐसे हैं जो कि बिना एनओसी के चल रहे हैं। इन उद्योगों के द्वारा प्रदूषण फैलाकर इंदौर के पर्यावरण को बिगाड़ा जा रहा है। यह स्वीकारोक्ति राज्य सरकार के द्वारा दी गई है।

इंदौर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट द्वारा लिए स्वतः संज्ञान याचिका पर राज्य सरकार ने जवाब पेश कर दिया है। इसमें सरकार ने खुद माना है कि 5917 उद्योगों में से 1008 उद्योग ऐसे हैं, जो बगैर एनओसी के चल रहे थे। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये या तो एनओसी ले या अपने उद्योगों को बंद कर दें। हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5917 इकाइयां को एनओसी जारी नहीं होने को लेकर 8 दिसंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी।

इस दौरान पिछली सुनवाई पर सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ था। जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि सरकार जवाब पेश करे अन्यथा संबंधित अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हो। इसके बाद इस सुनवाई पर सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है। इसमें कोर्ट को पूरा हिसाब-किताब दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि बगैर एनओसी के चल रही यूनिटस को नोटिस जारी कर दिए गए है, यदि वे एनओसी नहीं लेते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

751 अस्पतालों को भी लेनी होगी एनओसी

इसी तरह से 751 अस्पतालों के लिए भी संबंधित जिलों के सीएमएचओ के जरिए निर्देश जारी किए हैं कि वे प्रदूषण की एनओसी लें। अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। उपमहाधिवक्ता सुदीप भार्गव ने जवाब पेश करने की पुष्टि की है। कोर्ट में सरकार के जवाब आने के बाद अब इस पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।

कोर्ट को बताया गया है कि 3200 इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं, इनमें एनओसी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 49 इंडस्ट्री ऐसी हैं, जो व्हाइट जोन में आती हैं, इन्हें एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

197 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने एनओसी ले ली है। जबकि 712 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो प्रदूषण के सभी मापदंडों को पूरा करती हैं और उन्होंने एनओसी के लिए आवेदन किया हुआ है। दो सप्ताह में इनका निर्णय हो जाएगा। इसके साथ ही 751 अस्पतालों को एनओसी लेने के लिए कहा गया है। 1008 औद्योगिक इकाइयां बगैर एनओसी के चल रही थीं, उन्हें एनओसी के लिए कहा गया है अन्यथा उद्योग बंद करने के लिए चेतावनी जारी की गई है।

इंदौर मेट्रो के अधिकारी मशीन देखने जाएंगे सिंगापुर, बैंकॉक

मेट्रो के काम के कारण ट्रैफिक जाम से जनता परेशान

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों की खुदाई अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन शेड, पेड़ कटाई और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। इस बीच मेट्रो अफसर आधुनिक मशीन देखने सिंगापुर-बैंकॉक दौरे की तैयारी में हैं।

शहर में जगह-जगह मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए शेड लगाए गए हैं, लेकिन अभी खुदाई शुरू होने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। धीमी गति से काम हो रहा है और लोग हलाकान है। इस बीच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को सिंगापुर-बैंकाक भेजने की तैयारी है। खुदाई के लिए आधुनिक मशीन Underground Excavation Technology देखने के लिए यह दौरा प्रस्तावित कर दिया है।

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कई जगह पर शेड लगा दिए है। एयरपोर्ट के सामने पहला अंडरग्राउंड स्टेशन तैयार होगा, इसके बाद बीएसएफ परिसर में। यहां अभी से ही शेड डाल दिए गए, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पेड़ भी काट दिए गए।

2100 करोड़ का है अंडरग्राउंड ठेका

शहर के मध्य रानी सराय परिसर में भी शेड लगाकर सॉइल टेस्टिंग कराई जा रही है, यहां के पेड़ काटने की भी चर्चाएं है। अंडरग्राउंड ट्रैक का करीब 2100 करोड़ में ठेका दिया है। कंपनी के प्रतिनिधियों की देखरेख में सारा काम हो रहा है। पहले स्टेशन के लिए जनवरी में ही खुदाई शुरू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इंतजार करना होगा। खुदाई की तैयारी है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए किस टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का इस्तेमाल होगा यह तय नहीं है।

ठेकेदार कंपनी कराएगी विदेश दौरा

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक की मशीन की तलाश में सिंगापुर-बैंकाक भेजने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार कंपनी इन अफसरों को विदेश भ्रमण कराएगी। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस। कृष्ण चैतन्य ने माना कि अफसरों को सिंगापुर, बैंकाक भेजा जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर पर 17 किमी हिस्से में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है।

संपादकीय...

जनता के हितों का संरक्षण जरूरी...

यह अपने आप में बहुत चिंता की बात है कि रेरा के द्वारा दिया गया आदेशों का जिला स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। बिल्डर कॉलोनाइजर जनता को सुनहरे सपने दिखाकर अपनी संपत्ति बेचने का काम कर लेते हैं। संपत्ति को खरीदने वाले लोग बाद में हैरान परेशान रहते हैं। इन लोगों को ना तो समय पर संपत्ति का कब्जा मिल पाता है और ना ही बताई गई सुविधा दी जाती है। ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए ही सरकार के द्वारा रेरा की व्यवस्था की गई है। रेरा के द्वारा जब जिला प्रशासन को बिल्डरों से वसूली कर आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप जाती है तो उसे जिम्मेदारी को प्राथमिकता के साथ निभाया जाना चाहिए। जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह के कार्य में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किए जाने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जनता के हितों का संरक्षण किया जाए।

■ गौरव गुप्ता

मानसिक स्वास्थ्य और खान-पान, बढ़ सकती हैं आपकी एंग्जायटी और डिप्रेशन

ये 13 चीजें बढ़ा सकती हैं आपकी एंग्जायटी और डिप्रेशन, इसलिए खाने से पहले ध्यान दें

डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि आप जानते हैं कि जो आप खाते हैं, उसका सीधा असर आपके मूड और मानसिक स्थिति पर पड़ता है? अक्सर हम शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन एंग्जायटी (ट्र3द्वद्गह्ल4) और डिप्रेशन (ष्ठद्गश्चह्म्द्गह्यह्यद्बश्ट्ठ) जैसी समस्याओं के पीछे हमारे गलत खान-पान का हाथ हो सकता है। आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा से जानते हैं उन 13 खाद्य पदार्थों के बारे में जिनसे आपको दूरी बनानी चाहिए।

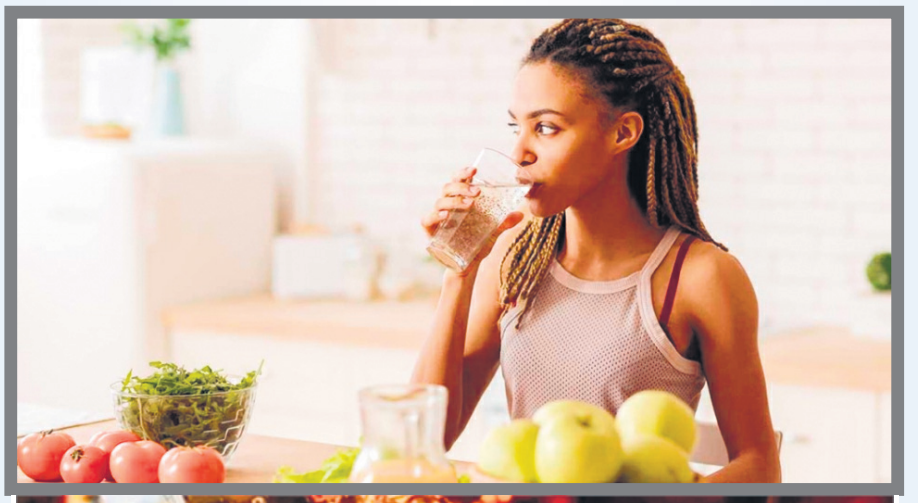

फलों का जूस (Fruit Juice)

साबुत फलों में मौजूद फाइबर आपको संतुष्ट रखता है, लेकिन जूस में केवल शुगर-वाटर होता है। बिना फाइबर के यह शुगर आपके शरीर में एनर्जी को एकदम बढ़ाती है और फिर उतनी ही तेजी से गिरा देती है, जिससे आप हैंग्री (भूखा और गुस्सैल) महसूस करते हैं।

सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स

सोडा में मौजूद भारी मात्रा में चीनी सीधे तौर पर डिप्रेशन से जुड़ी है। अगर आपको बुलबुले वाला पेय चाहिए, तो सादे पानी में थोड़ा सा फलों का रस मिलाकर पिएं।

डाइट सोडा

चीनी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सुरक्षित है। डाइट सोडा में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको सामान्य चीनी वाले सोडा से भी ज्यादा उदास (Depressed) महसूस करा सकते हैं।

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

सफेद ब्रेड (White Bread)

मैदे से बनी सफेद ब्रेड खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर को बढ़ा देती है, जो एंग्जायटी और डिप्रेशन के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। इसकी जगह होल-ग्रेन (साबुत अनाज) ब्रेड का चुनाव करें।

केचप (Ketchup)

टमाटर के साथ-साथ केचप में भारी मात्रा में चीनी (प्रति चम्मच 4 ग्राम) होती है। इसके बजाय घर पर बनी टमाटर की ताजी चटनी या साल्सा का उपयोग करें।

सलाद ड्रेसिंग

बाजार में मिलने वाली लाइट या शुगर-फ्री ड्रेसिंग में एस्पार्टेम (Aspartame) जैसे कृत्रिम मिठास वाले तत्व होते हैं, जो एंग्जायटी बढ़ाते हैं। घर पर ही तेल और सिरके से ड्रेसिंग तैयार करना बेहतर है।

एनर्जी ड्रिंक्स

इनमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हृदय की लय बिगाड़ सकती है और नींद की समस्या पैदा कर सकती है। प्यास लगने पर पानी ही सबसे अच्छा विकल्प है। केक या कुकीज पर लगी फ्रॉस्टिंग में ट्रांस फैट (Trans Fats) होते हैं, जो डिप्रेशन का बड़ा कारण माने जाते हैं। हमेशा लेबल पर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स की जांच करें।

कैफीन

यदि आप इसके अभ्यस्त नहीं हैं, तो कॉफी आपको घबराहट और बेचैनी दे सकती है। हालांकि, सीमित मात्रा में या डिकैफ़ (Decaf) कॉफी डिप्रेशन कम करने में मदद भी कर सकती है।

शराब

थोड़ी मात्रा में शराब सामाजिक होने में मदद कर सकती है, लेकिन इसका अधिक सेवन आपकी नींद खराब करता है और एंग्जायटी बढ़ाता है।

ग्लूटेन (Gluten)

यह केवल उन लोगों के लिए है जो ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसे लोगों में ग्लूटेन के सेवन से सुस्ती और डिप्रेशन महसूस हो सकता है।

प्रोसेस्ड मीट और फ्राइड फूड

तले हुए भोजन और प्रोसेस्ड मीट (जैसे सलामी या सॉसेज) का अधिक सेवन मानसिक असंतुलन और बेचैनी का कारण बनता है।

डोनट्स

डोनट्स में मैदा, गलत तरह का फैट और अत्यधिक चीनी–तीनों होते हैं। इन्हें कभी-कभार ट्रीट के तौर पर ही खाएं, अपनी आदत न बनाएं।

विधवा बहू ससुर के निधन के बाद भी भरण पोषण का अधिकार रखती है - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया दिया कि पति की मौत सास-ससुर के पहले या बाद में हो, विधवा बहू को ससुराल की संपत्ति से भरण-पोषण का पूरा अधिकार है। तकनीकी आधार पर अधिकार छीनना असंवैधानिक है और सभी विधवा बहुओं पर यह लागू होगा। इस निर्णय से पहले कानून में यह स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं थी।

परिवार में संपत्ति और अधिकारों की बात आते ही कई बार कानूनी पेंच फंस जाते हैं। अगर बात हो विधवा बहू की, तो केस और पेचीदा हो जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ने दिया है, जो ऐसी इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बहू ससुर की मौत के बाद विधवा हो जाती है, तब भी उसे ससुर की संपत्ति से 'मेंटेनेंस' यानी गुजारा भत्ता मिलने का पूरा हक है। ससुर की प्रॉपर्टी से बहू को खर्चा चलाने का अधिकार है, बशर्ते वह खुद कमाकर या पति की प्रॉपर्टी से अपना गुजारा न कर पा रही हो। यह फैसला हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 के सेक्शन 21 और 22 पर आधारित है।

मनुस्मृति और नैतिक कर्तव्य का जिक्र

सेक्शन 21 में 'डिपेंडेंट' यानी आश्रितों की लिस्ट है, जिसमें 'पुत्र की विधवा' शामिल है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति की मौत ससुर के जीते-जी हुई या बाद में। दोनों ही मामलों में बहू को ससुर की एस्टेट (संपत्ति) से मदद मिल सकती है। कोर्ट ने मनुस्मृति का भी जिक्र किया, जहां लिखा है कि मां, पिता, पत्नी या बेटे को कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यह एक तरह का नैतिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विधवा बहू बेसहारा हो सकती है, जो गलत है।

अपील कहां गया था कि ससुर की मौत के बाद विधवा होने पर कोई हक नहीं। लेकिन कोर्ट ने इसे मनमाना और गलत ठहराया।

इससे पहले क्या कानून था?

पहले की बात करें तो कानून में काफी कन्फ्यूजन था। कुछ निचली अदालतों और हाई कोर्ट्स में यह तर्क दिया जाता था कि अगर बहू ससुर के जीते-जी विधवा हो जाती है, तभी उसे ससुर की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिल सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ससुर जीवित होता तो उसका कर्तव्य होता बहू का ख्याल रखना। लेकिन अगर ससुर पहले मर जाता और उसके बाद पति की भी मौत हो जाती है तो बहू को 'डिपेंडेंट' नहीं माना जाता। मतलब, टाइमिंग के आधार पर अधिकार कट जाता।

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिफिकेशन यानी विभाजन को कई बार अनुचित कहा जाता था, क्योंकि इससे विधवा महिलाएं मुश्किल में पड़ जातीं। पुराने हिंदू कानून में भी मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में परिवार की जिम्मेदारी का जिक्र है, लेकिन कानून में यह पेंच फंसता रहता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया और कहा कि कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं को मजबूत बनाए, न कि कमजोर।

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) के तहत एक विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण (Maintenance) मांग सकती है, यदि वह स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। यह अधिकार ससुर की पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) में होता है, लेकिन ससुर की निजी या स्व-अर्जित संपत्ति पर यह दावा सीमित हो सकता है।

अधिनियम की धारा 19 के तहत, पति की मृत्यु के बाद बहू अपने ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है।

ससुर की संपत्ति : बहू ससुर की उस पैतृक संपत्ति से भरण-पोषण पाने की हकदार है, जिसमें से उसे कोई हिस्सा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अनुसार, ससुर की मृत्यु के बाद भी विधवा बहू उनके एस्टेट (संपत्ति) से मेंटेनेंस की हकदार है।

विधवा बहू को यह अधिकार तब तक ही लागू रहता है जब तक विधवा बहू दोबारा शादी नहीं कर लेती।

यदि बहू ससुराल के घर में नहीं रहती, तो भी वह मेंटेनेंस की हकदार हो सकती है।

विधवा बहू को यह भरण-पोषण मुख्य रूप से ससुर के पास मौजूद पैतृक संपत्ति से ही दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस नवीनतम निर्णय के अनुसार, हिंदू विधवा बहू को अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण (Maintenance) पाने का कानूनी अधिकार है, भले ही पति की मृत्यु ससुर के जीवित रहते हुई हो या बाद में। यह अधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 और 22 के तहत मिलता है, यदि विधवा बहू स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो विधवा बहू अपने ससुर की पैतृक (ancestral) संपत्ति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है और यदि ससुर की मृत्यु हो चुकी है, तो भी बहू उनकी संपत्ति (जो वारिसों को मिली है) से भरण-पोषण पाने की हकदार है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेटे की विधवा का मतलब सिर्फ वही नहीं है जिसके पति की मृत्यु ससुर से पहले हुई हो, बल्कि कोई भी विधवा बहू इसके दायरे में आती है, यह भरण-पोषण का उसका कानूनी अधिकार है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति की मृत्यु के समय के आधार पर विधवाओं के बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 (जीवन और समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। लेकिन यदि बहू पुनर्विवाह (re-marriage) कर लेती है, तो यह अधिकार समाप्त हो सकता है।

यह निर्णय विधवा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

अमेरिका में सुपर बाउल का क्रेज खेल से बढ़कर एक राष्ट्रीय उत्सव

8 फरवरी को अमेरिका में खेल के सबसे बड़े उत्सव सुपर बाउल के फाइनल का आयोजन संता क्लारा में हुआ, जिसके लिए लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं जिसके स्टेडियम टिकट पंद्रह से बीस हजार डॉलर इकोनॉमिक क्लास के आते हैं ।

अमेरिका में सुपर बाउल केवल एक फुटबॉल मैच नहीं, बल्कि एक ऐसा आयोजन है जो खेल, मनोरंजन, व्यापार और सामाजिक संस्कृति का अनोखा संगम बन चुका है। हर साल होने वाला यह मैच नेशनल फुटबॉल लीग के दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच खेला जाता है, लेकिन इसका प्रभाव मैदान से कहीं आगे तक फैला होता है।

खेल से बढ़कर एक त्योहार

सुपर बाउल के दिन अमेरिका में माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता। लोग घरों में, दोस्तों के साथ या बड़े स्क्रीन वाले पब्लिक स्थानों पर इकट्ठा होकर मैच देखते हैं। सुपर बाउल पार्टी देना एक परंपरा बन चुकी है, जहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, विंग्स और स्नैक्स के साथ मैच का मजा लिया जाता है।

टीवी और मनोरंजन का महाकुंभ

सुपर बाउल अमेरिका के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टीवी कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग मैच से ज्यादा हाफ टाइम शो और विज्ञापनों का इंतज़ार करते हैं।

- हाफटाइम शो में दुनिया के बड़े पॉप स्टार्स प्रदर्शन करते हैं।
- विज्ञापन इतने महंगे और क्रिएटिव होते हैं कि लोग उन्हें खास तौर पर देखने बैठते हैं। यानी खेल, संगीत और सिनेमा–सब एक ही मंच पर।

आर्थिक प्रभाव

सुपर बाउल का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी दिखता है।

- रेस्तरां, फूड डिलीवरी और स्नैक्स की बिक्री बढ़ जाती है।

- विज्ञापन कंपनियाँ करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं।
- जिस शहर में मैच होता है, वहाँ पर्यटन, होटल और स्थानीय व्यवसायों को बड़ा फायदा होता है।

यह आयोजन लोगों को एक साथ लाने का काम करता है। चाहे किसी को फुटबॉल की ज्यादा समझ हो या नहीं, सुपर बाउल के दौरान हर कोई चर्चा में शामिल होता है। ऑफिस, स्कूल और सोशल मीडिया पर अगले दिन मैच, हाफटाइम शो और विज्ञापनों की बातें छाई रहती हैं।

क्यों है इतना क्रेज?

- रोमांचक फाइनल मुकाबला
- विश्वस्तरीय संगीत प्रदर्शन
- रचनात्मक और मज़ेदार विज्ञापन
- दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर
- राष्ट्रीय गौरव और खेल भावना

निष्कर्ष

अमेरिका में सुपर बाउल खेल से कहीं ज्यादा एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। यह वह दिन है जब पूरा देश एक ही कार्यक्रम के जरिए जुड़ता है–जहां खेल, संगीत, व्यापार और सामाजिक मेल-जोल एक साथ नजर आते हैं।

शरद पवार और सुप्रिया की आतुरता के बीच सुनेत्रा ने साधी चुप्पी, अधर में लटका एनसीपी विलय का मामला

नई दिल्ली। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के विलय का मामला फिलहाल अधर में लटक गया है। नई परिस्थितियों में शरद पवार परिवार में विलय के लिए जरूरत आतुरता दिख रही है, मगर अजित परिवार में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार समेत अन्य सदस्यों ने चुप्पी साध ली है। पहले विलय पर सहमत दिख रही भाजपा नई परिस्थितियों में जल्दबाजी में नहीं है तो एनसीपी में परिवार के इतर बिग फोर मसलन प्रफुल्ल पटेल, धनंजन मुंडे, छगन भुजबल और सुनील तटकरे विलय के विरोध में हैं।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

गौरतलब है कि निधन से पहले अजित ने एनसीपी विलय का रोडमैप करीब-करीब तैयार कर लिया था। इस रोडमैप के मुताबिक एनसीपी (शरद) के मुखिया को राज्यसभा का एक और कार्यकाल दिया जाना था, जबकि सुप्रिया सुले को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। संयुक्त पार्टी की कमान दिवंगत अजित पवार को संभालनी थी, जबकि शरद पार्टी में मुख्य सलाहकार की भूमिका में आने वाले थे।

क्या है सुनेत्रा पवार की योजना?

विलय के संदर्भ में बिग फोर में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने सवाल किया कि इसकी जरूरत क्या है? इससे एनसीपी को क्या मिलने वाला है? उनका कहना था कि अजित के रहते परिस्थिति दूसरी थी। उन्हें ही विलय के बाद संयुक्त पार्टी की कमान संभालनी थी। अब चूंकि अजित नहीं हैं, ऐसे में इस विलय का एनसीपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि बिना देरी किए डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद सुनेत्रा की योजना अब जल्द ही एनसीपी के संगठन की कमान भी हासिल करने की है।

इसलिए लटका मामला

पहले विलय हो जाने की स्थिति में भले ही सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन जाती, मगर शरद के सलाहकार की भूमिका में आने से संगठन की कमान दिवंगत अजीत के पास होती। अब नई परिस्थिति में भले ही दिवंगत अजीत की पत्नी सुनेत्रा डिप्टी सीएम बन गई हैं, मगर संगठन का झुकाव शरद और सुप्रिया की ओर हो जाने का खतरा था। फिर अजीते के न रहने से विलय के बाद सबसे अधिक समस्या बिग फोर के लिए होती। इनके लिए नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाना आसान नहीं होता।

इंतजार करेगी भाजपा

नई परिस्थिति में भाजपा विलय के मामले में इंतजार करना चाहती है। दरअसल केंद्र में नायडू-नीतीश ने अब तक मोदी सरकार के लिए कोई अड़चन पैदा नहीं की है। यह ठीक है कि विलय के बाद केंद्र में समर्थन के लिए भाजपा को अतिरिक्त 8 सांसद मिल जाएंगे, मगर आशंका इस बात की भी है कि संगठन की कमान अगर शरद परिवार के पास गई तो उसके साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है।

यूपी आ रहा हूं तैयार हो जाओ, ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया चैलेंज

निजामाबाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले 2027 में होने हों। लेकिन सियासी दल अभी से चुनावी हुंकार भरने लगे हैं। इसमें नया नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) का भी जुड़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी का झंडा लहराने का ऐलान कर दिया। ओवैसी यहीं नहीं रुके और यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने और पार्टी का परचम लहराने की बात कह दी।

अकबरुद्दीन ने जनसभा के दौरान कहा, इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है उतना ही सिर पर टोपी लगाने का भी है। ये मुल्क सबका है। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं और सूली पर चढ़े हैं, लेकिन आज सिर्फ बात हिंदू-मुस्लिमों की होती है। मुल्क का मसला क्या केवल हिंदू और मुसलमान हैं। ऐ नादानों इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो वह महंगाई का है। यहां घरों पर छत नहीं हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं और कई घरों में बिजली तक नहीं हैं।

निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज देते हुए कहा, मिस्टर योगी ,यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ ,अब यूपी में भी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। हम सभी यूपी चलेंगे और यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे और वहां भी अपना झंडा लहराएंगे।

इस सप्ताह आपके सितारे
11 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026

किसी के रुके कार्य होंगे तो किसी को मिलेगा रुका हुआ पैसा...

मेष - इस सप्ताह अधिक व्यय होने की संभावना है। कारोबार अच्छा चलेगा। भाग्य साथ देगा। मान सम्मान बढ़ेगा। किसी रुके हुए कार्य के होने की संभावना है। शत्रु कुछ कष्ट दे सकते हैं। उदर विकार अल्पाधिक होगा। वाहन से अल्प कष्ट संभव है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ - मानसिक तनाव बढ़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से दूर रहें। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होगी। किसी का व्यवहार मन को कष्ट देगा। प्रेम संबंधों के लिए समय प्रतिकूल है। लाभ कम, व्यय अधिक। संतान पक्ष धनात्मक रहेगा। वाहन सुख उत्तम।

मिथुन - व्यय अधिक होगा किंतु उसी अनुरूप लाभ भी होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति सावधान रहें। जीवनसाथी से विवाद हो सकता है। कारोबार अच्छा चलेगा। शत्रु पराजित होंगे। घर परिवार में किसी शुभ कार्य के होने की भी संभावना है।

कर्क - कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। कारोबार अच्छा चलेगा। वाहन से अल्पाधीक कष्ट संभव है। शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे किंतु विजय आपकी होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। संतान पक्ष कुछ परेशान कर सकता है। धनागम में वृद्धि होगी। माता का ध्यान रखें।

सिंह - इस सप्ताह जीवनसाथी की ओर से परम धनात्मकता का अनुभव होगा। प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान पक्ष कुछ पीड़ित करेगा। मित्र सहयोग देंगे। अचानक कोई काम होने से खुशी होगी। वाहन सावधानी से चलावें। विवादों से बचें।

कन्या - इस सप्ताह शारीरिक स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। आवक अच्छी होगी। कारोबार में उन्नति होगी। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। मित्र भी वांछित सहयोग नहीं करेंगे। वाहन सुख उत्तम। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और सहयोग अच्छा रहेगा।

तुला - इस सप्ताह संतान संबंधी किसी चिंता का निवारण होगा। कोई रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। किसी से विवाद न करें अन्यथा परेशानी होगी। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे। भूमि संबंधी कोई कार्य होगा।

वृश्चिक - इस सप्ताह मानसिक तनाव बहुत रहेंगे। बेवजह के विवादों से भी बचें। भूमि भवन संबंधी कोई कार्य होगा। संतान पक्ष अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग अच्छा मिलेगा। कारोबार में कुछ न्यूनतम रहेगी। वाहन सुख उत्तम। यात्रा हो सकती है।

धनु - इस सप्ताह आपके किसी कार्य के संपन्न हो जाने से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति सावधान रहें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान पक्ष कुछ कष्ट दे सकता है किंतु चिंतनीय नहीं। कारोबार अच्छा चलेगा। शत्रु सिर उठा सकते हैं।

मकर - कारोबार अथवा कार्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। मित्रगण सहयोग करेंगे। जीवनसाथी का व्यवहार और स्वास्थ्य अल्प रूप से ऋणात्मक रहेगा। रोमांस के लिए समय ठीक नहीं। आय अच्छी होगी। वाहन सुख उत्तम है। भूमि संबंधी विवाद खड़ा हो सकता है।

कुंभ - इस सप्ताह आपको अचानक रुका हुआ कुछ पैसा मिल सकता है। जीवनसाथी का सुख एवं सहयोग अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में धनात्मकता दिखाई देगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कारोबार अच्छा रहेगा। शत्रु दबेंगे।

मीन- इस सप्ताह आपके परिवार में कुछ अशांति हो सकती है अतः सावधानी रखें। कारोबार में लाभ सीमित होगा। व्यय अधिक होंगे। संतान पक्ष का अच्छा सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलावें। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और सहयोग अच्छा रहेगा।

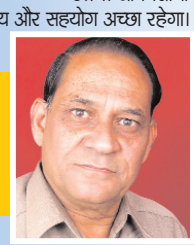

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ सूर्य - वृश्चिक ■ चंद्र - मेष से कर्क ■ मंगल- वृश्चिक 8 से धनु में
■ बुध- तुला 7 से वृश्चिक में ■ गुरु- कर्क 6 से मिथुन में
■ शुक्र- वृश्चिक ■ शनि- मीन ■ राहु- कुंभ ■ केतु - सिंह

ट्रैफिक जाम से राहत के लिए दिल्ली में उड़ेगी ई एयर टैक्सी

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम सामना करना पड़ता है। अब CII ने एयर टैक्सी कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है और बताया है कि इससे 1 घंटे का सफर सीधा 12 मिनट में बदल जाएगा। इससे एयर एम्बुलेंस को भी फायदा होगा।

एयर टैक्सी कॉरिडोर योजना की दिल्ली -NCR में लगने वाले समय को घटाकर मिनटों में कर सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एयर टैक्सी कॉरिडोर की यह पहल दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम और बुनियादी ढांचे की पुरानी समस्या का सॉल्यूशन बन सकती है।

CII ने गुरुग्राम-कनॉट प्लेस-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले एक पायलट एडवांस्ड एयर मोबिलिटी कॉरिडोर प्रपोजल पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) फ्लाइट और अन्य टेक्नोलॉजी पर काम को शामिल करके दिल्ली-NCR में एविएशन इकोसिस्टम को सुरक्षित तरीके से शामिल किया जा सकता है।

हालांकि अभी यह प्रपोजल है और इसको कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली-NCR में यह मॉडल सफल होता है तो आगे चलकर इस मॉडल को देश के अन्य बड़े शहरों में शामिल किया जा सकेगा। इसमें मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे नाम शामिल होंगे।

ट्रैवल टाइम में होगी कटौती

एयर टैक्सी की मदद से ट्रैवल टाइम में भारी कटौती आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर 12 मिनट से कम समय में होगा। सड़क से सफर में 1 घंटे से करीब डेढ़ घंटा लगता है।कनॉट प्लेस से नोएडा इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट का सफर 20 मिनट से कम समय में होगा। सड़क से इस सफर में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता है।

एयर एम्बुलेंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फायदा

दिल्ली-NCR में एयर टैक्सी का एम्बुलेंस में भी किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों पर वर्टीपोर्ट्स तैयार किए जाएंगे। इसकी मदद एम्स समेत दूसरे बड़े अस्पतालों के बीच मरीज को रेफर करना आसान हो जाएगा।

आगे क्या होंगे चुनौतियां?

देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली में कुछ हिस्से हाई सेंसटिव जोन हैं। दिल्ली कैंट, लुटियंस दिल्ली और IGI एयरपोर्ट के ऊपर से एयर टैक्सी को उड़ने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। इसके लिए ष्ठत्रष्ट को नए स्टैंडर्ड और रूट्स तैयार करने होंगे। फायर सेफ्टी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन और स्टॉप फ्री क्लीयरेंस जरूरी होगी।

गर्भवती पाई गईं सैकड़ों नाबालिग लड़कियां

इंस्टा-फेसबुक से पनपा प्यार; 300 लोगों पर केस दर्ज

तिरुपत्तूर। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में सोशल मीडिया से शुरू हुए प्रेम संबंधों के चलते बड़ी संख्या में बाल विवाह हुए, जिनके कारण सैकड़ों नाबालिग लड़कियां गर्भवती हो गईं। इस मामले में पुलिस ने 300 युवाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

तिरुपत्तूर जिले के आम्बूर, वाणियामबाड़ी, नाट्रमपल्ली और तिरुपत्तूर तालुकों में साल 2025 के दौरान सैकड़ों बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों की जांच में सामने आया है कि इनमें से अधिकांश शादी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पनपे प्रेम संबंधों का परिणाम थे, जबकि कई जोड़े राज्य से

बाहर जाकर भी लव मैरिज कर चुके हैं। जिला प्रशासन ने कई बाल विवाह रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लव मैरिज और बाल विवाह के मामले लगातार सामने आते रहे। इसका असर यह हुआ कि जिले के सरकारी अस्पतालों में नाबालिग लड़कियों की गर्भावस्था और प्रसव के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं।

इस चौंकाने वाली स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ऐसे मामलों में माता-पिता और संबंधित युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और सामाजिक जागरूकता की कमी किस तरह बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है।

सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा

हैदराबाद। हैदराबाद में शहर में शादी न होने से मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। तेलंगाना के हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में रहने वाले 30 साल के प्रवीण लंबे समय से विवाह न हो पाने के कारण डिप्रेशन में थे। उम्र बढ़ने और बार-बार रिश्ते तय न हो पाने से वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगे थे।

परिवार और दोस्तों की शादियों को देखकर और बार-बार तुम्हारी शादी कब होगी? जैसे सवाल सुनकर उनका मानसिक दबाव और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रवीण बेहद परेशान थे और इसी मानसिक तनाव के चलते प्रवीण ने यह खतरनाक कदम उठाया।

जानकारी के मुताबिक, वह रविवार दोपहर को 20 मंजिला इमारत पर गया और वहां से कूद गया। गंभीर रूप से घायल प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रवीण के शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि शादी नहीं होने से डिप्रेशन में जाने के कारण आत्महत्या हुई।

प्यार में होश खो बैठी लड़की, बॉयफ्रेंड को भेज दी मां की अश्लील तस्वीरें

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 23 साल की लड़की पर आरोप है कि उसने अपनी मां की अंतरंग तस्वीरें अपने बॉयफ्रेंड के साथ साझा की। पुलिस के मुताबिक लड़की अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी और अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से घंटों फोन पर बातचीत करती थी। एक महीने पहले मां ने अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड

से बात करते हुए देखा और उसने फोन छीन लिया।

कुछ दिन बाद महिला ने बेटी का फोन चेक किया और फोटो गैलरी में अपनी और रिश्तेदार महिला की अश्लील तस्वीरें देखीं। इन तस्वीरों को लड़की ने बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था। घटना के बारे में जानकर महिला भारी सदमे और मानसिक तनाव में आ गई।

मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बेटी और उसके पति के मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने कहा कि अगर जांच में अपराध साबित होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले ने परिवार और पड़ोसियों में भी चिंता पैदा कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्वीरें किस-किस तक पहुंची हैं और किस तरह साझा की गईं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराई जाए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

अब साप्ताहिक प्लान बनाकर खर्च करेंगे बजट की राशि

राइजिंग इन्दौर
■ भोपाल संवाददाता

विधानसभा सत्र से पहले सरकार एक्शन मोड में है। बजट खर्च में सुस्ती पर मुख्य सचिव ने अफसरों को फटकार लगाई। केंद्र के अनुरूप प्रस्ताव दिल्ली भेजने और संयुक्त सचिवों से मासिक संवाद के निर्देश दिए गए।

प्रदेश के जिन विभागों ने अब तक बजट की राशि जनता के कामों के लिए खर्च नहीं की, उन्हें साप्ताहिक प्लान बनाकर खर्च करें। ताकि जनता के कामों के लिए सरकार द्वारा बजट में दी गई राशि का पूरा उपयोग हो सके। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सोमवार की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले हुई बैठक कई मायने में अहम थी।

सत्र से पहले दिल्ली भेजा जाएगा बजट

इसमें केंद्रीय बजट के अनुरूप विभागों से योजना बनाकर दिल्ली भेजने के लिए कहा गया। यह भी नसीहत दी कि एसीएस, पीएस और सचिव अपने विभागों के संयुक्त सचिवों से महीने में एक बार संवाद करें। उन्हें कामों में आ रही मैदानी स्थिति से अवगत कराएं और सहयोग मांगें। सीएस ने सत्र शुरू होने के पहले पिछले सत्रों की सूचनाओं व अपूर्ण उत्तर वाले प्रश्न, आश्वासन और लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के लंबित मामलों को पूरा करने के लिए कहा।

सीएस की बैठक में इन पर भी चर्चा

» केंद्रीय बजट के प्रावधानों के अनुरूप परियोजनाएं और योजनाएं तैयार कर भारत सरकार को भेजें।

» केंद्र के बजट के प्रावधानों के अनुरूप मप्र में सिटी इकोनॉमिक रीजन, डेडीकेटेड केमिकल और पेट्रोकेमिकल व मेगा टेक्सटाइल पार्क, नॉलेज और एजुकेशन सिटी, मेडिकल हब, फार्मास्युटिकल रिसर्च सेंटर, स्कूल और कॉलेजों के लैब, सी मार्ट, हॉस्टल, स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में केंद्रीय बजट प्रावधान के प्रस्ताव दिल्ली भेजें।

» रजिस्ट्री के बाद अविवादित नामांतरण और लोकसेवा गारंटी में नागरिकों के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करें।

» सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों का निराकरण तेजी से करें।

» सभी काम ई-ऑफिस प्रणाली पर ही हों।

» बीते एक वर्ष में नई नीतियों के लागू होने, उन्हें प्रभावी बनाएं।

» सभी विभागाध्यक्ष वित्त आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करें।

प्राधिकरण के कार्यालय में भी हुई मंगलवार की जनसुनवाई वापस

इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में मंगलवार को अन्य शासकीय कार्यालय की तरह जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया गया।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

प्रति मंगलवार प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आज कुल 18 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आज प्राप्त हुए आवेदनों में मिश्रित रूप से सभी शाखाओं से संबंधित रहे, जिसमें संपदा शाखा के 7, भू-अर्जन शाखा के 6, स्थापना शाखा के 2, तकनीकी एवं रूपांकन शाखा के 1-1 प्रकरण रहे।

उक्त आवेदनों में मुख्य रूप से योजना क्रमांक 59 से अपनी समस्या लेकर जनसुनवाई में पधारे आवेदक का विषय रहा। आवेदन के अनुसार प्राधिकारी की योजना क्रमांक 59 में प्राधिकरण के भूखंड पर कतिपय तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जाना बताया गया, जिस विषय की सुनवाई मुख्य कार्यपालिक अधिकारी डॉ. परिक्षित झाड़े द्वारा कर संबंधित भूखंड से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित एसडीएम से प्राधिकरण से संबंधित आवेदन पर शीघ्र सुनवाई कर निर्णय करने के निर्देश दिए ताकि भूखंडधारकों को राहत प्रदान की जा सके।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े ने बताया की गत 3 माह से प्रत्येक मंगलवार प्रातः 11.00 से 01.00 बजे तक कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें प्राधिकरण से संबंधित अपनी समस्या का यथोचित समाधान पा सकते है। अब तक लगभग 200 आवेदनों पर प्रभावी यथोचित कार्यवाही की जा चुकी है, यह भविष्य में इसी प्रकार जारी रहेगी।

1314 गली मोहल्लों में बेधड़क जाएगी पुलिस

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तकनीक का उपयोग कर तैयारी की

राइजिंग इन्दौर
■ भोपाल संवाददाता

पूरे मध्य प्रदेश में 1314 गली मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर की पुलिस को जाने में अब जरा भी समस्या नहीं आएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में पुलिस ने तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी तैयारी कर ली है।

कानून व्यवस्था बिगड़ी तो प्रदेश की 1314 बस्तियों व गलियों में पुलिस व किसी भी तरह की फोर्स नियंत्रण के लिए आसानी से दाखिल नहीं हो सकती। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस खुद मान रही है। इन बस्तियों की पहचान पुलिस ने ही की है। किसी भी तरह की संभावित विपरित स्थिति में यहां दाखिल करने के लिए पुलिस को जोनल प्लान बनाने हैं। यह काम प्रदेश के 25 जिलों ने पूरा कर लिया है, बाकी के जिले पिछड़े हैं।

असल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीन महीने पहले पुलिस को जिलों की ऐसी संकरी बस्तियों व गलियों की पहचान करने के लिए कहा था, जहां पूर्व में कानून व्यवस्था की दृष्टि से कभी न कभी अप्रिय स्थिति बनी हो। इसके आधार पर जोनल प्लान बनाने को भी कहा था। पुलिस इसके बाद ही ऐसी बस्तियों व गलियों की पहचान कर रही है। दरअसल, ये ऐसे क्षेत्र हैं

जहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर तंग बस्तियों तक पकड़ बनाने में पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ती है।

जीआइएस मैप पर दर्ज की बस्तियां

पुलिस ने 19 जिलों की संवेदनशील गलियों व बस्तियों को जीआइएस मैप पर दर्ज कर लिया है। 23 जिलों में एक्सेस प्लान तैयार हैं। पुलिस का कहना है कि पीएचक्यू और गृह विभाग से जो निर्देश मिले थे, उसके तहत काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके प्रयास हो रहे हैं।

त्योहार में कानून व्यवस्था बनाना बड़ी चुनौती

त्योहारों के समय कई जिलों में पुलिस के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। कहीं न कहीं सरकार भी इस बात को लेकर चिंता करती रही है। कानून मामलों के जानकारों का कहना है कि जहां आवागमन आसान हो, वहां कानून व्यवस्था पर कम से कम समय में नियंत्रण पाना आसान है, लेकिन संकरी बस्तियों व गलियों में पहुंच बनाना मुश्किल है, इसलिए सरकार का इस दिशा में सोचना और काम करना जरूरी है।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एक, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- गौरव गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।